भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3829

17 मार्च, 2020 के लिए प्रश्न

एफसीआई के भण्डागारों में सड़ते खाद्य पदार्थ

3829. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

श्री के. सुधाकरन:

श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से 2019 के बीच प्रति वर्ष एफसीआई और सीडब्ल्यूसी गोदामों में क्षतिग्रस्त हुए या सड़ गए खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की मात्रा कितनी है और इससे हुई राजस्व की हानि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों के अपव्यय को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के सुझाव के मद्देनजर सरकार का विचार खाद्य पदार्थ के सड़ने की बजाय देश के अत्यधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2014 से 2019 के बीच केन्द्रीय पूल से केरल राज्य सरकार द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): उन खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य, जो वर्ष 2014 से 2019 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों (स्वयं के और किराए के) में क्षतिग्रस्त हुए थे, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	वर्ष	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (टन में)	अनुमानित हानि (रुपए में)
1	2014-15	18847.65	210,756,647
2	2015-16	3115.68	38,723,346
3	2016-17	8775.57	96,201,860
4	2017-18	2663.49	66,626,992
5	2018-19	5213.36	72,033,224

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा फलों और सब्जियों के भंडारण का कार्य नहीं देखा जाता है।

.....2/-

(ख): भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को क्षति से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार द्वारा निर्धनतम लोगों को निःशुल्क अतिरिक्त आवंटन किए जाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): केरल सरकार को वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के दौरान किए गए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आवंटन और उठान का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(हजार टन में)

वर्ष	आवंटन	उठान
2014-15	1595.239	1562.652
2015-16	1591.860	1584.234
2016-17	1400.603	1397.289
2017-18	1425.049	1437.054
2018-19	1425.048	1410.293

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3829 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्षति को कम करने के लिए, खरीदे गए खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण, भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाता है।

(iii) खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(iv) सभी गोदामों में रखे अनाज में कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(v) भंडारण में रखे खाद्यान्नों में कीटों के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोगनिरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपचार (फ्यूमीगेशन) नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(vi) कवर्ड गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पॉलीथीन के वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से कवर किया जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(viii) शैक्षणिक योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं। खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी विभिन्न स्तरों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यम से नियमित अंतराल पर की जाती है। भंडारण में खाद्यान्नों के उचित परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों में निम्नलिखित चेक और सुपर-चेक किए जाते हैं।

(क) तकनीकी सहायक द्वारा 100% आधार पर स्टॉक का पाक्षिक निरीक्षण।

(ख) प्रबंधक (क्यूसी) द्वारा मासिक निरीक्षण।

(ग) सहायक महाप्रबंधक (क्यूसी) द्वारा तिमाही निरीक्षण।

(घ) क्षेत्रीय, आंचलिक और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के स्क्वाडों द्वारा सुपर चेक।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' (एफआईएफओ) सिद्धांत का यथासंभव पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधिक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल कवर्ड वैगनों का उपयोग किया जाता है, ताकि ढुलाई के दौरान क्षति से बचा जा सके।

(xi) स्टॉक की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करने और क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्रीय और अंचल स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

(xii) गोदामों की छत में लीकेज वाले स्थानों की नियमित रूप से पहचान और मरम्मत की जाती है।

(xiii) गोदाम परिसर में नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाती है।

(xiv) यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोदामों के अंदर कहीं कोई सीलन नहीं है।

(xv) यह सुनिश्चित किया जाता है कि गोदामों के परिसर में कहीं कोई जल भराव न हो।

(xvi) जब कभी स्टॉक प्रभावित होता है, तो उसको अलग करने और रीकंडीशन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

****